

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

क्रमांक: प.19(10)राभ/सीए/2017/245

दिनांक: 09 जनवरी, 2019

सीमित निविदा विज्ञप्ति

राजभवन जयपुर में आगामी एक वर्ष के दौरान होने वाले विभिन्न समारोहों हेतु हलवाई कार्य मय बारदाने व केटरिंग सर्विस मय क्राकरी कार्य करने हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 15.01.2019 दोपहर 02.00 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ बंद लिफाफे में कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउसहोल्ड, राजभवन, जयपुर के नाम प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त निविदा दिनांक 15.01.2019 को दोपहर 3.00 बजे राजभवन कार्यालय में खोली जावेगी। कार्य की अनुमानित लागत राशि रुपये 1,98,500/- होगी।

इच्छुक फर्में दिनांक 09.01.19 को प्रातः 12.00 बजे से बोली दस्तावेज प्रपत्र राजभवन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। एवं राजस्थान स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> अथवा राजभवन की साईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(14)
कन्ट्रोलर,
राज्यपाल, हाउसहोल्ड
राजभवन, जयपुर

क्रमांक: प.19(10)राभ/सीए/2017/246

दिनांक: 09 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर।
2. श्री विजय सिंह प्रोग्रामर, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, को राजभवन की साईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय
4. रक्षित पत्रावली

(14)
कन्ट्रोलर,
राज्यपाल, हाउसहोल्ड
राजभवन, जयपुर

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर
बिड प्रपत्र

कार्य का नाम:- राजभवन जयपुर में आगामी एक वर्ष के दौरान होने वाले विभिन्न समारोहों हेतु हलवाई कार्य समस्त बारदाने सहित व केटरिंग सर्विस मय काकरी, कॉफी मशीन मय ऑपरेटर इत्यादि कार्य करने हेतु दरें / निविदायें दिये जाने बाबत।

निविदादाता का नाम व पता:-.....

क्र.सं	कार्य का विवरण	व्यक्तियों की संख्या	दरें प्रति व्यक्ति रूपये
A	1:- हलवाई कार्य मय बारदाने सहित सूची मे से-2 मिठाईयों, 2 नमकीने बनाने का कार्य	100 से 500 व्यक्तियों तक:-	
		501 से 2000 व्यक्तियों तक:-	
	2:-केटरिंग सर्विस मय केटरिंग बारदाने, बोनघाईना काकरी, कटलरी, ग्लासवेयर, लीनन, फील, पेपर नेपकीन आदि एवं चाय बनाने वाला एवं कॉफी मशीन मय ऑपरेटर सहित (कार्य करने वाले की ड्रेस सफेद ड्रेस मय राजस्थानी साफा होगी।)	100 से 500 व्यक्तियों तक:-	
		501 से 2000 व्यक्तियों तक:-	
B	1:-हलवाई कार्य मय बारदाने सहित मैन्यू सूची मे से- 3 मिठाईयों, 3 नमकीने बनाने का कार्य	100 से 500 व्यक्तियों तक:-	
		501 से 2000 व्यक्तियों तक:-	
	2:- केटरिंग सर्विस मय केटरिंग बारदाने, बोनघाईना काकरी, कटलरी, ग्लासवेयर, लीनन, फील, पेपर नेपकीन आदि एवं चाय बनाने वाला एवं कॉफी मशीन मय ऑपरेटर सहित (कार्य करने वाले की ड्रेस सफेद ड्रेस मय राजस्थानी साफा होगी।)	100 से 500 व्यक्तियों तक:-	
		501 से 2000 व्यक्तियों तक:-	
C	हलवाई कार्य सभी बारदाने सहित मैन्यू सूची मे से- 4 मिठाईयों, 4 नमकीने बनाने का कार्य	100 से 500 व्यक्तियों तक:-	
		501 से 2000 व्यक्तियों तक:-	
	2:- केटरिंग सर्विस मय केटरिंग बारदाने, बोनघाईना काकरी, कटलरी, ग्लासवेयर, लीनन, फील, पेपर नेपकीन आदि एवं चाय बनाने वाला एवं कॉफी मशीन मय ऑपरेटर सहित (कार्य करने वाले की ड्रेस सफेद ड्रेस मय राजस्थानी साफा होगी।)	100 से 500 व्यक्तियों तक:-	
		501 से 2000 व्यक्तियों तक:-	

नोट:- सभी परिस्थितियों में हवी चटनी, मीठी चटनी भी बनानी होगी।

1. मिठाईयों की सूची :-मोतीचूर लड्डू, मावा सादा बरफी, केसर मावा बरफी, अखरोट बरफी, मिश्री मावा, कलाकन्द, गुलाबशकरी, काजू कतली, बादाम बरफी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, दाल भूंग हलवा,गाजर का हलवा, रसमलाई, बंगाली मिठाई, मालपुर्, जलेबी, इमरती, बादशाही, फूट घाट इत्यादि
2. नमकीनों की सूची:- समीसा, कचौरी, मिक्स बेजीटेबल पकोडा, दाल पकोडी, बेजीटेबल व पनीर शोल, खमन दोंकला, ब्रेड पकोडा, बेजीटेबल सेन्डविच,।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील

लेखाधिकारी

कंट्रोलर

सहायक सचिव

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान
राजभवन, जयपुर

दिनांक: जनवरी, 2019

विषय: राजभवन जयपुर में आगामी एक वर्ष के दौरान होने वाले विभिन्न समारोहों हेतु हलवाई कार्य समस्त बारदाने सहित व केटरिंग सर्विस मय क्राकरी, कॉफी मशीन मय ऑपरिटर इत्यादि कार्य करने हेतु दरें /निविदायें दिये जाने बाबत।

2. फर्म का नाम व डाक का पता, टेलीफोन/माबाईल नम्बर सहित

2. सन्दर्भ

3. राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग से केटरिंग सर्विस व हलवाई कार्य एवं बारदाना आदि का बनाने के व्यवसाय करने हेतु पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है।

4. फर्म का सम्बन्धित केटरिंग सर्विस व हलवाई कार्य आदि का मुख्य रूप में वर्तमान में व्यवसाय चालू है, का प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न है।

5. आयकर स्थाई खाता संख्या (PAN) की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

6. सचिव, राज्यपाल राजस्थान द्वारा जारी की गई सीमित निविदा में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न पृष्ठों में दी गई, उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्यता स्वीकार करते हैं।

7. केटरिंग सर्विस मय क्राकरी एवं बारदाना व कॉफी मशीन मय ऑपरिटर इत्यादि व हलवाई कार्य मय बनाने के बारदाने सहित कार्य करने हेतु दरें संलग्न प्रारूप में दी गई हैं।


8. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर.....

9. गत दो वर्षों के दौरान राजकीय विभागों/वी.वी.आई.पी. स्थानों पर कार्य करने के प्रमाण-स्वरूप कार्यादेशों व संतोषजनक तरीके से कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र की प्रतियाँ संलग्न हैं।

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील


लेखाधिकारी


कन्ट्रोलर


सहायक सचिव

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

आवश्यक शर्तें

1. निविदाएं केटरिंग सर्विस मय काकरी इत्यादि व हलवाई कार्य मय बनाने के सामान (बारदाने) सहित कार्य करने का अनुमानित मूल्य रूपए 1,98,500/- मात्र हेतु आमंत्रित हैं।
2. निविदा दिनांक 15.01.2019 को दोपहर 02.00 बजे तक मोहर बन्द लिफाफे मे राज्यपाल सचिवालय में प्रस्तुत करनी होगी।
3. प्राप्त निविदाएं दिनांक 15.01.2019 को अपराह्न 3.00 बजे उपस्थित निविदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष इस हेतु गठित समिति द्वारा खोली जावेगी।
4. निविदादाता को अपनी दरे संलग्न फायनेंशियल बिड प्रपत्र परिशिष्ट-‘क’ में प्रस्तुत करनी होगी।
5. केटरिंग सर्विस मय काकरी इत्यादि व हलवाई कार्य मय बनाने के सामान (बारदाने) सहित कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो।
6. दो वर्ष के अनुभव के प्रमाण स्वरूप कार्यादेश व संतोषजनक तरीके से कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी।
7. केटरिंग सर्विस मय काकरी इत्यादि व हलवाई कार्य मय बनाने के सामान (बारदाने) सहित कार्य करने का अनुभव नहीं होने के अभाव में निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी।
8. सफल निविदादाता को संलग्न नमूना करार-पत्र में कार्यादेश में अंकित निर्देशानुसार रूपए 500/- के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध संपादित करना होगा।
9. केटरिंग सर्विस मय काकरी इत्यादि व हलवाई कार्य मय बनाने के सामान (बारदाने) सहित कार्य की दरे एफ.ओ.आर. राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर होगी तथा अग्रिम भुगतान की कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
10. निविदादाता लिफाफे पर "राजभवन में केटरिंग सर्विस मय काकरी इत्यादि व हलवाई कार्य मय बनाने के सामान (बारदाने) सहित कार्य प्रदान करने की दरे हेतु" अवश्य अंकित करेगा।
11. निविदादाता को अपने कार्यालय/ निवास के दूरभाष नम्बर निविदा मे देने होंगे, ताकि आवश्यक होने पर दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सके।
12. निविदा दरे में कांट -छांट नहीं की जावे।
13. निविदा दरे पैन से भरी होनी चाहिये, पैसिल से भरी गयी निविदा को रद्द कर दिया जावेगा।
14. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर किये जावे।
15. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान का निविदा स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय अन्तिम होगा।
16. RTPP नियम 2013 के नियम 29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यक्षीन होगी एवं किसी न्यूनतम मात्रा की गारन्टी नहीं दी जावेगी।
17. सफल निविदादाता को कार्य करने हेतु कार्य प्रारम्भ करने के 6 घंटे पूर्व तक कार्यादेश पत्र ई-मेल/दूरभाष द्वारा दिया जा सकता है।
18. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम अधिनियम-2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के समस्त सम्बन्धित प्रावधान लागू होंगे।


लेखाधिकारी


कन्ट्रोलर

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील


सहायक सचिव

नमूना करार पत्र

1. यह करार पत्र आज दिनांक माह सन् 2019 को एक पक्ष के (जिसे इसमें आगे "अनुमोदित प्रदायकर्ता" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे "सरकार" कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।
2. अनुमोदित प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य के को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसके शाखा कार्यालयों को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं का निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम संलग्न में दी गयी दरों पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।
3. अनुमोदित प्रदायकर्ता ने राशि रूपये की राशि
 - a. "ई. जी. आर. ए. एस. के माध्यम से जमा";
 - b. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;
 - c. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।
 - d. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियाँ। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।
 - e. किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद का मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।
4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:
 - (1) इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर के माफ़त सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ता और उसके आदेश में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं का विधिवत् प्रदाय करेगा।
 - (2) निविदा सूचना संख्या दिनांक से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी।
 - (3) निविदादाता से प्राप्त पत्र संख्या दिनांक तथा सरकार द्वारा जारी किए पत्र संख्या भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।
 - (4) (क) सरकार एतद् द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त वस्तुओं का उपर्युक्त तरीके से विधिवत् प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार के माध्यम से अनुमोदित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में

दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगा या भुगतान करवाएगी।

5. (ख) भुगतान राजकीय ट्रेजरी के माध्यम से -----की विधि होगा, जिसके लिये निम्नांकित विवरण है:-

- (i) बैंक का नाम एवं पता :-
 (ii) बैंक खाता धारक फर्म का नाम (जैसा कि बैंक खाते में लिखा हो) :-
 (iii) बैंक खाता संख्या :-
 (iv) बैंक IFSC कोड नं :-

6. माल की सुपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी:-

कम संख्या	मदों की मात्रा	सुपुर्दगी अवधि
7. (1)	यदि शास्त्र के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो प्रदाय न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर बसूली की जाएगी:-	
(क)	विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5%
(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए	7.5%
(घ)	विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

टिप्पणी:

- (I) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।
- (II) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10: होगी।
- (III) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण सविदान्तगत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।
- (2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो जो निविदादाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी के साथ या उनके बिना कर दी जाएगी।
8. RTPP नियम 2013 के नियम 29 (ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यक्षीन होंगीं एवं किसी न्यूनतम मात्रा की गारन्टी नहीं दी जावेगी।
9. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम अधिनियम-2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 के समस्त सम्बन्धित प्रावधान लागू होंगे।
10. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।
11. अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश में अंकित कार्य प्रारम्भ की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी तथा परस्पर सहमति अनुसार से उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।
 इसके साक्ष्य में इससे पक्षकारों ने आज दिनांक सन् 2019 को अपने हस्ताक्षर किए।

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से हस्ताक्षर / पदनाम	अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर
--	-----------------------------------